



बिहार सरकार
समाहरणालय, कैमूर (भभुआ)
(आपूर्ति शाखा)

Ph. No. - 06189-223241 (O)
Fax No. - 06189-223301
Email-dm-bhabhua.bih@nic.in

—: सूचना :-

सरकार के सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2905/खाद्य, पटना, दिनांक 06.07.2020 के आलोक में बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 में वर्णित प्रावधानों एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या 2342 दिनांक 15.02.2016 एवं 2622 दिनांक 26.02.2019 में निहित प्रावधानों के आलोक में कैमूर जिलान्तर्गत भभुआ एवं मोहनियां अनुमण्डल के जन वितरण प्रणाली दुकानों की रिक्तियां निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	अनुमण्डल का नाम	अनारक्षित		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अत्यंत पिछड़ा वर्ग		पिछड़ा वर्ग		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग		योग
		अ०	म०	अ०	म०	अ०	म०	अ०	म०	अ०	म०	अ०	म०	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	भभुआ	6	4	3	2	1	0	3	2	2	2	2	1	28
2	मोहनियां	3	0	1	1	1	1	2	1	2	2	0	1	15
कुल योग		9	4	4	3	2	1	5	3	4	4	2	2	43

इस प्रकार कुल 43 (तैंतालिस) रिक्तियों के विरुद्ध संबंधित पंचायत/वार्ड के स्थायी निवासियों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

- व्यक्तियों के लिए अनुसूची-1 में तथा स्वयं सहायता समूह, महिलाओं/पूर्व सैनिक की सहयोग समितियों के लिए अनुसूची-2 में आवेदन पत्र अनुमण्डल पदाधिकारी, भभुआ/मोहनियां के कार्यालय में निर्धारित तिथि 11.01.2021 से 27.01.2021 तक कार्यालय अवधि में सिर्फ निबंधित डाक के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
- उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक मैट्रिक पास और वयस्क होगा, परन्तु कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी। कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्य को और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।
- अनुज्ञप्ति निर्गत करने में निम्न प्रकार से प्राथमिकता दी जायेगी :- (क) स्वयं सहायता समूह, (ख) महिलाओं की सहयोग समितियाँ, (ग) पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ, (घ) शिक्षित बेरोजगार (ड.) संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के निवासी।
- निम्नलिखित व्यक्तियों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं किया जायेगा :- (क) एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्यों के नाम से, (ख) मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद् के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल तक, (ग) आटा-चक्की के मालिक एवं उनके निकट संबंधियों को, (घ) अवयस्क या पागल या दिवालिया को, (ड.) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) के अधीन अथवा अन्य

किसी आपराधिक मामले में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष व्यक्ति को, (च) सरकार में लाभ के पद धारण करने वाले व्यक्ति।

5. विज्ञापन प्रकाशन के पूर्व अनुज्ञप्ति हेतु दिये गये आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को निरस्त किया जाता है।
6. अनुमण्डलवार/प्रखण्डवार/पंचायतवार/वार्डवार जन वितरण प्रणाली के दुकानों की आरक्षणवार रिक्तियाँ कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी, भभुआ/मोहनियाँ के सूचनापट्ट पर एवं कैमूर जिले के बेवसाईट kaimur.nic.in पर देखा जा सकता है।

- नोट :- 1. आवेदन पत्र के साथ अपना रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो (हाल का खींचा हुआ) पांच प्रति में संलग्न करना होगा, जिसमें से एक फोटो आवेदन पत्र पर सबसे उपर दांये कोने में चिपकाना होगा।
2. आवेदक को अपना मोबाईल संख्या आवेदन पत्र में अंकित करना होगा।
 3. आवेदक को आवेदन पत्र के सबसे उपर उस पंचायत/वार्ड संख्या एवं आरक्षण श्रेणी अंकित करना होगा, जिस पंचायत/वार्ड एवं आरक्षण श्रेणी के लिए आवेदन कर रहे हैं।
 4. शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
 5. आरक्षित श्रेणी के आवेदक को अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
 6. संबंधित पंचायत/वार्ड का निवासी होने का लाभ लेने के लिए अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत आवास प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
 7. कार्यपालक दण्डाधिकारी के स्तर से निर्गत आचरण संबंधी शपथ पत्र की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
 8. एक से अधिक पंचायत/वार्ड के लिए आवेदन करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
 9. जिन पंचायतों/वार्डों में अनुसूचित जनजाति के लिए रिक्तियाँ अनुशंसित हैं, वहाँ अनुसूचित जनजाति का कोई आवेदक नहीं हो, तो इसे अनुसूचित जाति के आवेदक द्वारा भरा जायेगा, और यदि अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित उचित मूल्य की दुकान के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का कोई सुयोग्य आवेदक नहीं हो, तो इस पिछड़े वर्ग के आवेदक एवं तदनुसार इसके विपरीत क्रम (vice versa) द्वारा भरा जायेगा।
 10. आवेदक जिस स्थान पर जन वितरण प्रणाली की दुकान चलाना चाहते हैं, उसका खाता, खेसरा एवं रकबा से संबंधित खतियान/केवाला एवं अद्यतन लगान रसीद की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
 11. विज्ञापन में अंकित स्थल/ग्राम में ही अनुज्ञप्तिधारी को दुकान का संचालन करना होगा। विशेष परिस्थिति में आवश्यकतानुसार अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा उक्त स्थल में परिवर्तन किया जा सकेगा।

जिला पदाधिकारी,
कैमूर (भभुआ)।

भमुआ अनुमण्डल अंतर्गत प्रखण्ड/पंचायत/ग्राम/वार्डवार जन वितरण प्रणाली दुकानों की अनुज्ञप्ति हेतु रिक्ति की विवरणी

क्र० सं०	प्रखण्ड	पंचायत	ग्राम/वार्ड जहाँ रिक्ति है	अनारक्षित		आरक्षित										कुल	आरक्षण/कोटि	
						अनु० जाति		अनु० जन जाति		अत्यंत पिछड़ा वर्ग		पिछड़ा वर्ग		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग				
				अन्य	महिला	अन्य	महिला	अन्य	महिला	अन्य	महिला	अन्य	महिला	अन्य	महिला			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	भमुआ	रूपपुर	हरिहरपुर	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	अनारक्षित महिला
2		डिहरा	मचियांव	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	अनुसूचित जाति
3		बहुअन	उजारी सिकठी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
4		सिकठी	भेकास	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	पिछड़ा वर्ग महिला
5		अखलासपुर	सेमरियां	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	अनु० जन जाति
6		जागेबरांव	करौंदी	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
7		सिवों	कुकुराढ	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	अनारक्षित महिला
8	चैनपुर	सिरबिट	करई	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	पिछड़ा वर्ग
9		इसियां	बरारी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	अनारक्षित
10		जगरियां	जगरियां	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	अनुसूचित जाति महिला
11		चैनपुर	चैनपुर	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	अनारक्षित
12		हाटा	सरपनी	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग महिला
13		मदुरना	जिगिना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला
14		नन्दगांव	रूपापट्टी	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	अनुसूचित जाति
15		मझुई	शिवपुर	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	अनारक्षित
16	चाँद	चौरी	बड़हरियां	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	पिछड़ा वर्ग	
17	अधौरा	दीघार	चौधरना	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	अनारक्षित
18		जमुनीनार	कान्हानार	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
19			सलेया	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	अनारक्षित महिला
20		बड़वानकला	बड़गांवकला	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	अनुसूचित जाति
21		अधौरा	बिदुरी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	अनारक्षित
22		डुमरांवा	लोन्दा	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
23		सड़की	चुमुरका	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
24		सारोदाग	बहेरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	पिछड़ा वर्ग महिला
25	रामपुर	जलालपुर	ठकुरहट	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	अनारक्षित महिला
26	नगरपरिषद्	वार्ड नं० 10	वार्ड नं०-10	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	अनुसूचित जाति महिला
27		वार्ड नं० 15	वार्ड नं०-15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	अनारक्षित
28		वार्ड नं० 25	वार्ड नं०-25	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग महिला
योग				6	4	3	2	1	0	3	2	2	2	2	1	28		

5/11/2021
 जिला पदाधिकारी,
 कैमूर (भमुआ)।

मोहनियां अनुमण्डल अंतर्गत प्रखण्ड/पंचायत/ग्राम/वार्डवार जन वितरण प्रणाली दुकानों की अनुज्ञप्ति हेतु रिक्ति की विवरणी

क्र० सं०	प्रखण्ड	पंचायत	ग्राम/वार्ड जहाँ रिक्ति है	अनारक्षित		आरक्षित										कुल रिक्ति	आरक्षण/कोटि	
						अनु० जाति		अनु० जन जाति		अत्यंत पिछड़ा वर्ग		पिछड़ा वर्ग		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग				
				अन्य	महिला	अन्य	महिला	अन्य	महिला	अन्य	महिला	अन्य	महिला	अन्य	महिला			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	दुर्गावती	खजुरा	नरमा	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	अनु० जन जाति
2		डुमरी	बिछियां	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	पिछड़ा वर्ग
3		खड़सरा	धनेछा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	पिछड़ा वर्ग महिला
4	रामगढ़	महुअर	पंचगाई	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	अनारक्षित
5		देवहलियां	मटियारी	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	अनु० जन जाति महिला
6		सिसौड़ा	तेनुआं	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	अनु० जाति महिला
7		अहिवास	विदामनचक	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	अनारक्षित
8		सिझुआ	पैकौली	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग महिला
9	नुआंव	अखिनी	जुझारपुर	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
10		मुखरांव	परियारी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला	
11		कोटा	गौरा	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	अनुसूचित जाति
12	मोहनियां	डंडवास	कैथियां	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	अनारक्षित
13		बघिनी	अधवार	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
14		पानापुर	पानापुर	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	पिछड़ा वर्ग
15		अकोढ़ी मेला	अकोढ़ी मेला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	पिछड़ा वर्ग महिला
योग				3	0	1	1	1	1	2	1	2	2	0	1	15		

6/11/2021
जिला पदाधिकारी,
कैमूर (ममुआं)।